न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा, शेखपुरा

समाहरणालय परिसर, शेखपुरा, बिहार

पंचाट/अधिनिर्णय

परिवाद संख्या –03/2017–18

शिकायत कर्त्ता :– श्री सुरेश प्रसाद सिंह पिता –स्व0 मदन सिंह एवं रामप्रवेश सिंह, पिता–स्व0 कपिल देव सिंह ग्राम –रूदासी, पंचायत–गगरी, प्रखंड+जिला –शेखपुरा ।

अरोपित पक्ष :– मनरेगा योजना में कार्यरत कर्मचारी एवं पदाधिकारी पंचायत–गगरी, प्रखंड–शेखपुरा, जिला–शेखपुरा।

शिकायत का विवरणी :–विद्यालय में मिट्टी भराई कार्य नहीं हुआ लेकिन योजना की राशि का निकासी कर लिया गया।

शिकायत की जॉच :–जिला में लोकपाल की नियुक्ति के बाद, दिनांक 18.10.2017 द्वारा के सभी योजनाओं पर सूचना पट्ट पर सभी तथ्य अंकित रहे । इससे सम्बन्धित पत्र जारी किया गया है। परन्तु जब को ग्राम रूदासी के योजना पर लोकपाल द्वारा जॉच के लिए 25.10.2017 को पहुँचा तब सूचना पट्ट निर्धारित पैरामीटर पर नहीं मिला। इसी बीच जॉच में पाया गया कि कार्य नहीं किया गया है। इस योजना की जॉच में विभिन्न तिथियों में अनुसंधान किया गया। इसी बीच कर्मचारी पदाधिकारी को बार–बार पत्र लिखा गया और इसी बीच सभी पत्राचार में बताया गया कि मनरेगा योजना में कार्य हुआ है। परन्तु लोकपाल द्वारा योजना स्थल पर कार्य नहीं पाया गया बल्कि यह संगठित रूप में योजना के नाम से पैसा निकासी किया गया। योजना स्थल पर कार्य की पुष्टि हेतु पंचायत तकनीकी सहायक कन्हैया दयाल सिंह द्वारा 21.04.2018 के रजिस्टर्ड पत्र से बताया गया है कि कार्य की जानकारी पंचायत में नहीं है। एवं 21.04.2018 के पत्र में लेखपाल श्री संजय कुमार द्वारा स्वीकार किया आरोप निराधार है लेकिन सत्य है ऐसा उनके द्वारा पेज संख्या –तीन में ऐसा बताया गया है परंतु पेज संख्या –4 में बताया गया है कि लेखपाल द्वारा बेजलिस्ट से मिलान तैयार किया गया है एवं लेखापाल के तथ्यों के बताने की प्रक्रिया से अवगत होता है कि लेखपाल को लेख–सम्बन्धित जानकारी नहीं है पूछताछ के दौरान पता चला कि इनकी योग्यता लेखपाल पद के लिए नहीं है और अतिरिक्त आवेदन शिकायत कर्त्ता के द्वारा दिया गया जिसमें अवैध निकासी में सम्बन्धित अवैध लोगों का सहारा किया गया उसके उपरांत गगरी पंचायत के रूदासी ग्राम में लोकपाल द्वारा पूछताछ किया गया जिसमें कुछ जनता का आवेदन दिया गया जिसके द्वारा मजदूरी करने वाला कार्य नहीं किया गया । आवेदन कर्त्ता निम्न है ।

श्री विपिन ठाकुर, पिता नागेश्वर ठाकुर, आशा देवी पति प्रवीण तांती, सुनीता देवी द्वारा इस सम्बन्धित जॉच में और बाल मजदूर एवं पढ़ाई करने वाले छात्र का नाम आया फिर इसके बाद इस तथ्य की जॉच सम्बन्धित विद्यालय राजकीयकृत राधानन्दन झा उच्च विद्यालय बरमा से पत्रांक –74 दिनांक 01.12.2017 से पता चला कि कार्य दिखाने वाले वर्ष में 18 वर्ष पूरा ही नहीं हुआ है परन्तु क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा बार–बार बोला जाता रहा है कि कार्य किया गया है।

पंचाट/अधिनिर्णय :– लोकपाल द्वारा सभी सम्बन्धित जॉच एवं काफी लम्बे समय तक अनुसंधान के बाद पाया गया है कि योजना पर कार्य नहीं किया गया । इस योजना पर सफेद पोश अपराध स्पष्ट रूप से दिखता है इसमें संबंधित तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक पर भारी दबाव है इसमें संबंधित पंचायत रोजगार सेवक पर भारी दबाब से कार्य की पुष्टि हेतु कार्य लिया गया । इस योजना पर प्रखंड स्तर पर ही कनीय अभियंता, लेखापाल एवं कार्यक्रम पदाधिकारी की भूमिका ज्यादा है। योजना पंचायत तकनीकी सहायक को जानकारी नहीं है। जबकि योजना पंचायत के स्तर से ही किया जाना हैं । अतएवं लोकपाल पंचायत गगरी के ग्राम रूदासी के योजना संख्या–19/2016–2017 में वित्तीय अनियमितता एवं पैसे का बन्दरवाट मानता है। जिसके लिए सम्बन्धित पंचायत रोजगार सेवक, कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखापाल से तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शेखपुरा, मनरेगा शेखपुरा द्वारा कर्मचारियों की सूची सौंपा गया जिसे सत्य मानते हुए संगठित अपराध के रूप सभी संलिप्त कर्मचारी व पदाधिकारी पर योजना में घोखाधड़ी एवं योजना का पैसे का अवैध निकासी मानता है।

अतएव लोकपाल द्वारा पंचायत गगरी में ग्राम रूदासी के योजना संख्या–19 (2016–2017) में वित्तीय अनियमियता एवं पैसे का बन्दरवाट मानता है। जिसके लिए कार्यक्रम पदाधकारी सभी सम्बन्धित कर्मचारी व पदाधिकारी जो कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा प्रखण्ड शेखपुरा के पत्रांक –180, दिनांक–09.11.2017 के सौंप गए लिस्ट के आधार पर निम्नलिखित लोगों की संलिप्ता के लोगों को अर्थ दण्ड निर्धारित करता है।

(1) पंचायत रोजगार सेवक– श्री शशिकान्त कुमार, अर्थ दण्ड राशि –11,000/– (ग्यारह हजार रूपये)
(2) कम्प्यूटर आपरेटर – श्रीमति मनीषा कुमारी – 10,000/– (दस हजार रुपये)
(3) लेखापाल – श्री संजय कुमार –50,000/– (पच्चास हजार रुपया)
(4) कनीय अभियन्ता – श्री चन्दन कुमार – 45,000/– (पैतालीस हजार रुपया)
(5) कार्यक्रम पदाधिकारी –श्री मनीष कुमार अखौरी– 60,000/– (साठ हजार रुपया)

अगले पेज पर

Scanned by CamScanner

पिछले पेज का शेष

(6) मुखिया जिनके अधीन क्रियान्वयन चलाया गया– श्री प्रभात कुमार सिंह – 15,000/– (पन्द्रह हजार रुपया)
(7) मेट – श्री सूर्यदेव कुमार के अधीन चलाया गया–दण्ड 15,000/– (पन्द्रह हजार रुपया)
(8) अध्यक्ष, सचिव, एवं सभी सदस्यगण निगरानी और अनुश्रवण समिति योजना संख्या–19(2016–17) में संलिप्त छः व्यक्ति सुर्यदेव कुमार सेवानिवृत, सोना देवी, हरिहर कुमार, ब्रहमदेव पासवान, भगवान पासवान, श्री गौतम कुमार रविदास प्राथमिक विद्यालय रूदासी में कार्यरत शिक्षक को दो हजार अलग–अलग से अर्थ दण्ड दिया जाता है। एवं उपरोक्त कृत कार्यवाही में संलिप्ता में संगठित अपराध और सफेदपोश अपराध की श्रेणी का देता है। लोकपाल मानता है कि लेखपाल श्री संजय कुमार को लेखापाल की अनिवार्य योग्यता कॉर्मस (वाणिज्य) की जानकारी नहीं रहने के कारण काफी वितीय अनियमियता हुई है। वितीय धोखाधड़ी में श्री संजय कुमार की लापरवाही दिखती है संचिका में काफी जगह हस्ताक्षर को छोड़कर नजर अंदाज किया गया है। लोकपाल इस सन्दर्भ में आदेशित करता है कि श्री संजय कुमार से वाणिज्य की जानकारी नहीं रहने के कारण लेखापाल के पद पर कार्य नहीं लिया जाय चुँकि वितीय अनियमियता काफी मात्रा में पाया गया है।

अतः श्री संजय कुमार लेखापाल को सम्बन्धित योग्यता नहीं रहने पर इनकी सेवा ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार पटना को वापस लौटा जाय। एवं ग्रामीण विकास विभाग अगर इन्हे किसी और पद पर रखना चाहता है, तो पंचायत रोजगार सेवक पद पर रखा जा सकता है।

उपरोक्त अर्थदण्ड मनरेगा को पंचाट अधिनिर्णय प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शेखपुरा में जमा करना सुनिश्चित करना है एवं अगर तीस दिन के अन्दर अर्थदण्ड जमा नहीं किया जाता है तब सम्बन्धित कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा जिला शेखपुरा द्वारा अगले तीस दिनों में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही करना है। एवं तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड–शेखपुरा, श्री अखौरी मनीष द्वारा अर्थदण्ड जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गया में जमा किया जाय। और अगले तीस दिनों में पंचाट का अर्थदण्ड जमा नहीं किया गया तब उसके आगे के तीस दिनों के अन्दर उप–विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला गया द्वारा शेखुपरा को सूचना दिया जाय। ताकि इसके लिए उप–विकास आयुक्त शेखपुरा श्री अखौरी मनीष के लिए प्राथमिकी दर्ज करेगें। उपरोक्त सभी दोषीयों पर अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर एक माह बाद प्रतिदिन पॉच सौ रुपये के हिसाब से अलग से आर्थिक दण्ड होगा। इसके साथ वाद समाप्त किया जाय।

निष्पादित दिनांक :– 30.8.2019

ई0 पंकज सिन्हा
लोकपाल मनरेगा, शेखपुरा

ज्ञापांक :– 75/लो0पा0/2019-20 दिनांक :– 30.8.2019

प्रतिलिपि :–सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि :–आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग पटना को श्री संजय कुमार लेखापाल के लिए कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी सह कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को सादर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि :–जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :–सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा जिला शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपलानार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–सभी सम्बन्धित अर्थदण्ड में शामिल कर्मचारी व अधिकारी एवं मुखिया को सूचनार्थ एवं अनुपलानार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–अध्यक्ष सदस्यगण निगरानी और अनुश्रवण समिति योजना संख्या–19 (2016–17) से सम्बन्धित है व्यक्तियो को सूचनार्थ
प्रतिलिपि :–योजना मेट–श्री सूर्यदेव कुमार जौब कार्ड धारक सं0–1611 कों सूचनार्थ
प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक है कि जिला के वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

ई0 पंकज सिन्हा
लोकपाल मनरेगा, शेखपुरा

Scanned by CamScanner